उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-157/2019/2488/92-2-19-39जांच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 05 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध जिला प्रशासन, मेरठ द्वारा एक रैली के दौरान समाज विरोधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुददो पर लिये गये विध्वसंक भाषण के लिये थाना-मेडिकल, मेरठ में अभियोग संख्या-360/2002 पंजीकृत कराया गया, जिसमें उन्हें जेल जाना पडा। उक्त घटना के क्रम में जिलाधिकारी, बागपत के आदेश सं0-796/दिनांक 20-08-2003 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता को निलम्बित किया गया, जिसकी पुष्टि निदेशालय के आदेश सं0-2009/दिनांक 11-11-2003 द्वारा करते हुये प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया। प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही तथा अभियोजन सं0-360/2002 के प्रचलित रहने की स्थिति में भी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 05-11-2014 के पैरा-14 में उल्लिखित व्यवस्था को संज्ञान में न रखते हुये आदेश सं0-1414/दि0 24-06-2016 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता की अनियमित ढंग से द्वितीय वित्तीय स्त्रोन्नयन अनुमन्य किये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री के0के0 मिश्रा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-3), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-157/2019/2488(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-337/ग्रा0अ0वि0/स्था0-3/अ0अभि0/व्य0प0-डी-78/18-19 दिनांक 20-07-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री के0के0 मिश्रा के विरूद्ध आरोपपत्र गठित कर शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक(स्था0-3) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,मुख्यालय।

4- श्री के0के0 मिश्रा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।